बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

–:: संकल्प ::–

विषय :– राज्याधीन सेवाओं में प्रोन्नति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मियों को आरक्षण का लाभ अनुमान्य कराने के संबंध में।

बिहार सरकार की सेवाओं में प्रोन्नति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मियों को आरक्षण एवं परिणामी वरीयता अनुमान्य कराने से संबंधित राज्य सरकार की ओर से दायर सिविल अपील संख्या–4880/2017 माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए विचाराधीन है।

2. प्रोन्नति में आरक्षण के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक अन्य वाद एस0एल0पी0 (सी0) संख्या–30621/2011 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक–17.05.2018 को निम्न आदेश पारित किया गया है :–

It is directed that the pendency of this Special Leave Petition shall not stand in the way of Union of India taking steps for the purpose of promotion from 'reserved to reserved' and 'unreserved to unreserved' and also in the matter of promotion on merits.

Post for further orders after summer vacation.

इसी क्रम में एक अन्य वाद एस0एल0पी0 (सी0) संख्या–31288/2017, महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य बनाम विजय घोघरे एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–05.06.2018 को निम्नवत् आदेश पारित किया गया :–

Heard learned counsel for the parties. Learned ASG has referred to order dated 17.05.2018 in SLP(C)No. 30621 of 2011. It is made clear that the Union of India is not debarred from making promotions in accordance with law, subject to further orders, pending further consideration of the matter.

Tag to SLP(C)No.30621 of 2011.

3. इस बीच माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेशों के आलोक में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक–15.06.2018 द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों एवं सभी राज्य सरकारों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा उपर्युक्त वादों में दिनांक–17.05.2018 एवं 05.06.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में **''आरक्षित से आरक्षित'' एवं ''गैर आरक्षित से गैर आरक्षित''** Existing Seniority/Select lists के आधार पर नियमानुसार प्रोन्नति की कार्रवाई करने का परामर्श निर्गत किया गया है, जिसमें प्रावधान है कि इस प्रकार की प्रोन्नतियाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित किये जाने वाले आदेशों के फलाफल से प्रभावित होगी।

4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मियों को प्रोन्नति में आरक्षण का लाभ उपलब्ध कराने के निमित्त सुझाव देने के लिए प्रधान सचिव/सचिव स्तर एवं राज्य के उच्च स्तरीय पदाधिकारियों की सात सदस्यीय समिति का गठन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या–8510 दिनांक–27.06.2018 द्वारा किया गया।

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के पत्र दिनांक–15.06.2018 एवं उच्च स्तरीय पदाधिकारियों की समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं के आलोक में विधिक् परामर्श प्राप्त किया गया। उपर्युक्त के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त लिये गए निर्णय के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सरकारी सेवाओं में

प्रोन्नति प्रदान करने हेतु इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि से निम्नलिखित दिशा–निर्देश दिये जाते हैं :–

(i) राज्याधीन सेवाओं में सभी प्रोन्नतियाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल)–61 / 2002, एम0 नागराज एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य में दिनांक–19.10.2006 को पारित न्याय निर्णय का अनुपालन करते हुए इसके अधीन निरूपित सिद्धांत के अनुरूप दी जायेगी। आरक्षित वर्ग के राज्य कर्मियों को उच्चतर पद पर प्रोन्नति देने का बेचमार्क (Benchmark) वहीं होगा, जो गैर आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित है। निर्धारित कोटा के अन्तर्गत प्रतिनिधित्व पूरा न होने की स्थिति में ही आरक्षित वर्ग के कर्मियों को उच्चतर पद पर प्रोन्नति दी जायेगी।

(ii) सभी सेवाओं के प्रत्येक पद में प्रोन्नति हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मियों को आरक्षण का लाभ बिहार अधिनियम–3 / 1992 की धारा–4(2) के द्वितीय परन्तुक के प्रावधानों के अनुसार देय होगी एवं गैर आरक्षित वर्ग के रिक्ति के विरूद्ध गैर आरक्षित वर्ग के कर्मी को तथा आरक्षित वर्ग की रिक्ति के विरूद्ध आरक्षित वर्ग के कर्मी को प्रोन्नति दी जायेगी।

(iii) सभी प्रोन्नतियाँ मूल कोटि कि वरीयता के स्थान पर फीडर कैडर की वरीयता के आधार पर देय होगी। उदाहरणस्वरूप बिहार प्रशासनिक सेवा के विशेष सचिव के पद पर प्रोन्नति अपर सचिव की वरीयता के आधार पर देय होगी। इसी प्रकार अपर सचिव में प्रोन्नति संयुक्त सचिव की वरीयता से, संयुक्त सचिव में प्रोन्नति अपर समाहर्त्ता की वरीयता से, अपर समाहर्त्ता में प्रोन्नति उप सचिव की वरीयता से तथा उप सचिव में प्रोन्नति बिहार प्रषासनिक सेवा के बेसिक ग्रेड की वरीयता से देय होगी।

(iv) विभागीय परिपत्र संख्या–458 दिनांक–30.09.2002 द्वारा प्रोन्नति हेतु निर्धारित रोस्टर बिन्दु के अनुसार प्रोन्नति के पूर्व बैकलॉग पदों की गणना करते हुए रोस्टर क्लीयरेंस अनिवार्य होगा।

(v) किसी भी परिस्थिति में मेधा के आधार पर नियुक्त कर्मियों की मेधा का हनन नहीं किया जायेगा।

(vi) प्रोन्नति के पदों पर निर्धारित कोटा/प्रतिनिधित्व उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में Case-to case basis पर मामले की समीक्षा कर विहित प्रक्रिया के तहत कालावधि क्षान्त करते हुए उच्चतर पदों पर प्रोन्नति की कार्रवाई की जायेगी, ताकि आरक्षित वर्ग के कर्मियों को प्रोन्नति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके।

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–4800 दिनांक–01.04.2016 एवं परिपत्र संख्या–4020 दिनांक–26.03.2018 को उपर्युक्त हद तक संशोधित समझा जाय।

(viii) इस संकल्प के दिशा–निर्देश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

(ix) सभी प्रोन्नति आदेशों में यह अंकित किया जायेगा कि इस संकल्प के आधार पर दी जाने वाली प्रोन्नतियाँ औपबंधिक होगी एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील संख्या–4880 / 2017 राज्य सरकार एवं अन्य बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य के मामले में पारित किये जाने वाले न्यायादेश के फलाफल से प्रभावित होंगी।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / एवं सभी जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

राजेन्द्र 2/7/18

(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–11/आ0–नी0–I–02/2018 सा0प्र0 9706 पटना–15, दिनांक– 20:07:18

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–11/आ0–नी0–I–02/2018 सा0प्र0 9706 पटना–15, दिनांक– 20:07:18

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना/सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) पटना/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना/उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उप सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद् बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी विश्वविद्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीन सभी कार्यालयों/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा उपक्रमों/पर्षदों को अविलम्ब सूचित करा दें।

सरकार के अपर सचिव।